

**Shri Banga: What for?**

**Shri Kashiwal: May I know whether that particular suggestion will be reduced to a suggestion relating to appointment of judges only in the different zones, that is to say, one judge will not be transferred to another zone?**

**Shri Datar: I have not got before me the minutes of the proceedings of the Zonal Council. So, I am not in a position to state whether this particular aspect of the question was considered then.**

**सैनिक इंजीनियरिंग सेवा की निर्वाह समिति**

+

\*१५११. { श्री भक्त बर्षान :  
श्री स० बं० सामन्त :  
श्री बी० बं० शर्मा :  
श्री स० बं० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इंजीनियरिंग सेवा की निर्माण समिति ने इस बीच अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के जवाब-सचिव (जी कनेक्टिविटीय भागकबाद) : (क) नहीं नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एम० ई० एस० कन्सट्रक्शन कमेटी में सभी अफसर हैं, और प्रधान समेत सभी सदस्यों की ओर से भी रोज के जरूरी काम की ओर ध्यान देना पड़ता है । इस कारण उनके लिये समिति के काम में अपने समय का अधिक हिस्सा देना या अधिक बार मिलना संभव नहीं हो पाया है ।

(घ) समिति न बूम फिर कर जरूरी जानकारी प्राप्त करने का काम पूरा कर लिया है, और इस जानकारी के आधार पर निम्न संस्थाओं द्वारा काम में आने वाले व्योरे समेत वर्णन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया है । इस समय समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगी है । आशा है कि अप्रैल १९५८ के अन्त तक यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्य कर दी जायेगी ।

श्री भक्त बर्षान : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि एम० ई० एस० के ठेकेदारों को वर्षों तक उनके बिलों की प्रदायगी नहीं होती है और क्या इस कमेटी के सुपुर्व यह काम भी किया गया है और क्या वह इस पर भी विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार जयशंकर) : जैसा कि जवाब में कहा गया, अभी तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई । जैसा मैंने सवाल का जवाब देते हुये कहा अब रिपोर्ट आ जायेगी तो वह सभा के पटल पर रख दी जायेगी । यह सवाल तब उठेगा ।

**Shri S. M. Banerjee: May I know whether this Committee has also considered the question of the replacement of the contract system by departmental work?**

**Sardar Majithia:** The terms of this reference of this Committee were:

- (1) To compare the specifications used by the MES *vis-a-vis* CPWD, Railways and private enterprise;
- (2) To determine what changes should be made in the specifications with a view to bringing down the cost of construction;
- (3) To examine whether use of timber can be encouraged in order to meet the deficiency of iron and steel;
- (4) to examine whether the open verandah in the single officers' quarters can be closed to provide another room;
- (5) to consider whether the height of the rooms in hot places can be increased on no cost basis; and
- (6) to examine whether any improvements in the type/design of quarters can be made without additional cost.

These were the terms of reference of the Committee. The particular question which the hon. Member has put has already been dealt with by another committee, which was appointed, and the report of that committee has been submitted long ago.

**Shri S. C. Samanta:** May I know when this Construction Committee was set up and when they began their work actually?

**Sardar Majithia:** The Committee was appointed sometime in early 1956; to be exact, on 9th May 1956. They started work two months afterwards.

#### Arms Act

+

1512. { **Shri Bhakt Darshan:**  
**Shri D. C. Sharma:**  
**Shri Ajit Singh Sarhad:**  
**Shri Hem Raj:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given

to Starred Question No. 229 on the 21st November, 1957 and state:

(a) whether the Government have since finalised their proposals to amend the Arms Act; and

(b) whether proposals in this regard were invited and received from all the State Governments?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar):** (a) The matter is still under consideration.

(b) Yes.

**श्री भक्त दर्शन :** क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब दो-तीन वर्षों से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है तब कौन सी बड़ी झड़कनें हैं जिन की वजह से निर्णय नहीं हो पा रहा है ?

**Shri Datar:** The State Governments have been consulted as their views have to be taken into account. After the Bill has been finalised, we shall circulate it to the State Governments and ascertain their reactions. Then the Bill will be introduced here.

**श्री भक्त दर्शन :** पिछली बार यह उत्तर दिया गया था कि संसद के इसी सत्र में यह विधेयक पेश कर दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सत्र की समाप्ति से पहले इस की माशा की जा सकती है ?

**Shri Datar:** That depends upon how the State Governments deal with it. As soon as we receive their views, we can proceed with it almost immediately.

**सरदार ब० सि० सहगल :** क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने आर्ट्स ऐक्ट के बारे में अपनी तक अपनी राय बाहिर की है ?

**Shri Datar:** We have got the views of all the State Governments.

**Shri Thimatah:** May I know whether the draft has been circulated to